कार्यालय-संयोजक, रीप-2017

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ,कोटा (राजस्थान)-324010

ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया

सत्र 2017 - 18

राजस्थान सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्रालय, जयपुर के पत्र दिनांक 05 अप्रैल 2017 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुपालन में काउंसलिंग हेतु वर्ष 2017-18 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होगी |

काउन्सलिंग प्रक्रिया हेतु प्रमुख स्टेप

प्रथम स्टेप	ऑनलाइन पंजीयन (Registration)	पंजीयन शुल्क रूपये 700/- **(non refundable)** का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा किया जा सकेगा| पंजीयन हेतु आधार नंबर आवश्यक होगा |
द्वितीय स्टेप	ऑनलाइन अग्रिम फीस (Advance Fee) के भुगतान पश्चात ऑनलाइन विकल्प चुनाव (Preference/Choice filling)	अग्रिम फीस (Advance Fee) रूपये 10000/= मात्र का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा वेब पोर्टल पर किया जा सकेगा | अग्रिम फीस (Advance Fee) का समायोजन पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्ति पश्चात नियमानुसार किया जावेगा |
तृतीय स्टेप	आवंटन (Allotment)	आवंटित संस्था में उपस्थिति, दस्तावेज सत्यापन तथा प्रवेश (Reporting, Document Verification and Admission in Allotted Institute).
चतुर्थ स्टेप	उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement) हेतु विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना | (वैकल्पिक)	उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement) हेतु विकल्प केवल प्रथम व द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन किया जा सकेगा |
काउंसलिंग में सम्मिलित होने के माध्यम इन्टरनेट द्वारा कंप्यूटर/ एंड्राइड फ़ोन के माध्यम से कहीं से भी |		
काउंसलिंग हेतु भुगतान (पंजीयन शुल्क तथा अग्रिम फीस भुगतान) के माध्यम इन्टरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट के माध्यम से |		

अधिक तथा विस्तृत जानकारी के लिए रीप-२०१७ की वेबसाइट पर उपलब्ध **General Instructions REAP-2017** **देखें** |

ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने से पूर्व जानने हेतु आवश्यक बातें

- पूर्ण ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान (विशेष अंतिम चरण समेत) केवल एक बार ऑनलाइन पंजीयन तथा विकल्प चुनाव (Preference/Choice filling) करना होगा | पंजीयन की अंतिम तिथि पश्चात (अंतिम विशेष चरण के अतिरिक्त) पंजीयन संभव नहीं होगा |

- ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान तीन चरण (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण) में काउंसलिंग प्रक्रिया की जावेगी | प्रथम चरण में राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन होगा, द्वितीय चरण में राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन होगा तथा तृतीय चरण में राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों का उन्नयन (Upgradation/Upward Movement) किया जावेगा | तत्पश्चात अगस्त 2017 में एक विशेष अंतिम चरण आयोजित कर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जावेगी | सभी प्रतिभागी संस्थानों में कोई भी प्रवेश (प्रबंधन कोटा के अतिरिक्त) सीधा नहीं दिया जा कर केंद्रीकृत ऑनलाइन काउन्सलिंग के माध्यम से ही किया जावेगा |

- विशेष अंतिम चरण में भाग लेने के इच्छुक पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी अपना पूर्व आवंटित प्रवेश निरस्त करवाकर भाग लेने के अधिकारी होंगे | ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विशेष अंतिम चरण से पूर्व अपने पूर्व के विकल्प पत्र को संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध होगी |

- पंजीयन हेतु आधार नंबर आवश्यक होगा | आधार नंबर न होने की स्थिति में आधार पंजीयन की पावती मान्य होगी परन्तु आधार पंजीयन पावती की स्कैन्ड कॉपी (scanned copy) पंजियन हेतु अपलोड करनी होगी | आवंटित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु मूल आधार कार्ड (original Aadhaar card) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा | आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु आधार पंजीयन पावतीमान्य नहीं होगी |

- **पंजीयन से पूर्व अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आई. डी. निश्चित कर लें तथा काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान इन्हें नहीं बदलें | काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सभी संव्यवहार/सूचना हेतु यही मोबाइल नंबर तथा ईमेल आई. डी. निश्चित रहेंगे |**

- अभ्यर्थियों द्वारा JEE Mains-2017 के रोल न. अथवा कक्षा 12 के रोल न. के आधार पर पंजीयन कराया जाना संभव होगा | अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि यथा संभव JEE Mains 2017 के रोल नम्बर का प्रयोग कर पंजीयन करें | यदि अभ्यर्थी ने JEE Mains 2017 में उपस्थिति दर्ज नहीं की है तब ही कक्षा 12 के रोल न. के आधार पर पंजीयन कराएँ |

B.Tech प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:

काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान **प्रत्येक चरण में JEE Mains 2017 में प्राप्त अंकों/रैंक को अधिक वरीयता प्रदान की जावेगी** तथा तत्पश्चात ही कक्षा 12 के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश हेतु आवंटन किया जावेगा| पंजीयन के दौरान मान्यता प्राप्त बोर्ड की कक्षा-12 की अंक तालिका की स्कैन्ड कॉपी (scanned copy) वेब साईट पर लोड करना अनिवार्य होगा|

अधिक तथा विस्तृत जानकारी के लिए रीप-२०१७ की वेबसाइट पर उपलब्ध **General Instructions REAP-2017 देखें |**

<u>B.Arch प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:</u>

काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान **<u>प्रत्येक चरण में JEE Mains 2017 (paper-II) में प्राप्त अंकों/रैंक को अधिक वरीयता प्रदान की जावेगी</u>** तथा तत्पश्चात ही कक्षा 12 के प्राप्तांकों (50 % weightage) + National Aptitude Test in Architecture (NATA) (50 % weightage) के आधार पर प्रवेश हेतु आवंटन किया जावेगा| पंजीयन के दौरान मान्यता प्राप्त बोर्ड की कक्षा-12 की अंक तालिका की स्कैन्ड कॉपी (scanned copy) वेब साईट पर लोड करना अनिवार्य होगा| B.Arch कोर्स में प्रवेश हेतु Council of Architecture (COA) द्वारा आयोजित National Aptitude Test in Architecture (NATA) में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए कुल 200 अंक में से न्यूनतम 80 अंक अर्जित करना आवश्यक है |

- अभ्यर्थी (राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त) द्वितीय चरण की काउंसलिंग (राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों की प्रथम आवंटन सूची) के दौरान अपने मूल दस्तावेज आवंटित संस्थान में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर **वापिस प्राप्त कर लें** | अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में अपने दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (self attested) प्रतिलिपि भी जमा करवानी होगी| तत्पश्चात तृतीय चरण की काउंसलिंग (राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों का उन्नयन (Upgradation/Upward Movement)) उपरान्त अंतिम आवंटित संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निश्चित समय में (30/07/2017 तक) सभी मूल दस्तावेज जमा करवाने होंगे | मूल दस्तावेज जमा करवाने में विफल रहने पर प्रवेश निरस्त मान लिया जावेगा तथा आवंटित सीट स्वत: ही निरस्त मान कर अंतिम विशेष चरण में शामिल कर ली जावेगी | इस स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं ही सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा |

- **<u>उम्मीदवार द्वारा पंजीयन के दौरान बनाए गई लोगिन आई. डी. (Login ID) तथा पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्थान/एजेंसी के साथ साँझा न करें|</u>** इसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा |

- रीप-२०१७ वेबसाइट के माध्यम से किये जाने वाले भुगतान (पंजीयन शुल्क/ अग्रिम फीस/ विशेष शुल्क) हेतु लगने वाले समस्त शुल्क (Transaction charges) अभ्यर्थी द्वारा वहन किये जायेंगे | अभ्यर्थी को ऑनलाइन भुगतान के दौरान लगने वाले शुल्क की जानकारी भुगतान के दौरान प्रसारित की जाएगी |

- B.Tech में प्रवेश हेतु मेरिट निर्धारण में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथमत: गणित (Mathematics) विषय तथा तत्पश्चात भौतिक विज्ञान (Physics) के अंक के आधार पर मेरिट निर्धारण किया जायेगा | गणित तथा भौतिक विज्ञान में भी अंक बराबर होने पर जन्म दिनांक (Date of Birth) (ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा) तथा तत्पश्चात यादृच्छिकता (Randomisation) के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा |
- B.Arch में प्रवेश हेतु मेरिट निर्धारण में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथमत: गणित (Mathematics) विषय तथा तत्पश्चात गणित में भी अंक बराबर होने पर जन्म दिनांक (Date

of Birth) (ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा) तथा तत्पश्चात यादृच्छिकता (Randomisation) के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा |

- अगर कोई अभ्यर्थी B.Tech तथा B.Arch दोनों ही कोर्स हेतु आवेदन करना चाहता है तो भी उसे एक ही बार पंजीयन करवाना होगा तथा एक ही बार पंजीयन शुल्क (रूपये 700/= मात्र) देना होगा परन्तु दोनों ही कोर्सेज हेतु पृथक-पृथक अग्रिम फीस की राशी (रु.10,000/= मात्र) अदा करनी होगी |

- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि पंजीयन के दौरान अपने विवरण पूर्ण रूप से सही अंकित करें तथा इस बाबत स्वयं भी पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं | अभ्यर्थी द्वारा की गई सभी प्रविष्टियों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा | अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर लिया गया प्रवेश किसी भी समय व किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा | अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी देने पर सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी |

- यदि किसी प्रकरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा |

- अभ्यर्थी से प्राप्त अग्रिम फीस (Advance Fee) रूपये 10,000/= मात्र काउंसलिंग प्रक्रिया के पश्चात निम्न प्रकार से नियमानुसार समायोजित/ वापिस की जावेगी:

  - अभ्यर्थी के आवंटित संस्थान में काउन्सलिंग प्रक्रिया से प्रवेश ले लेने पर सम्पूर्ण अग्रिम फीस (रूपये 10,000/= मात्र) अंतिम आवंटित संस्थान को हस्तांतरित कर दी जावेगी |

  - अभ्यर्थी को अगर कोई विकल्प आवंटित नहीं होता है (Choice Exhausted) तो अभ्यर्थी द्वारा दी गई सम्पूर्ण अग्रिम फीस (रूपये 10,000/= मात्र) की राशि वापिस कर दी जाएगी | रीप-2017 द्वारा लौटाने योग्य राशि (अगर कोई है तो) नियमानुसार निर्धारित कर उसी माध्यम/स्त्रोत को लौटाई जाएगी जहाँ से वह पूर्व में प्राप्त हुई थी|

  - अगर अभ्यर्थी ने किसी भी चरण की काउंसलिंग में आवंटन पश्चात् आवंटित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है (Not Reported) तो उसे अग्रिम फीस की राशि रूपये 10,000/= (रूपये दस हजार मात्र) की राशि में से कुछ भी राशि देय (रिफंड) नहीं होगी|

  - अगर अभ्यर्थी ने आवंटित संस्थान में प्रवेश ले कर बाद में अपना प्रवेश 31 जुलाई

2017 से पूर्व अपना प्रवेश आवंटित संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन रद्द करवा लिया है (**अभ्यर्थी को वेब पोर्टल पर लोगिन पश्चात अपना स्टेटस (Check candidate status) के माध्यम से "Admission cancelled on request of candidate" जाँच लेना चाहिए**) तो अभ्यर्थी द्वारा दी गई अग्रिम फीस रूपये 10,000/= (रूपये दस हजार मात्र) की राशि में से प्रशासनिक शुल्क रूपये 1000/= काटकर शेष राशि रूपये 9000/= (रूपये नौ हजार मात्र) वापिस कर दी जाएगी | रीप-2017 द्वारा लौटाने योग्य राशि नियमानुसार निर्धारित कर उसी माध्यम/स्त्रोत को लौटाई जाएगी जहाँ से वह पूर्व में प्राप्त हुई थी |

- अगर अभ्यर्थी ने आवंटित संस्थान में प्रवेश ले कर बाद में अपना प्रवेश 31 जुलाई 2017 के पश्चात रद्द करवाया/वापिस किया है तो अभ्यर्थी को अग्रिम फीस की राशि रूपये 10,000/= (रूपये दस हजार मात्र) में से कुछ भी राशि देय (रिफंड) नहीं होगी |

- **सभी सम्बंधित संस्थानों में सत्र प्रारंभ होने की अधिकारिक तिथि 01 अगस्त 2017 है|**

प्रथम स्टेप

पंजीयन (Registration)

- समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना आवश्यक होगा जिसका शुल्क रूपये 700/= (वापसी योग्य नहीं) (non-refundable) निर्धारित किया गया है | पूर्ण ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान (विशेष अंतिम चरण समेत) केवल एक बार ऑनलाइन पंजीयन करना आवश्यक होगा |
- पंजीयन शुल्क रूपये 700/-(non-refundable) का भुगतान ऑनलाइन रीप-२०१७ की आधिकारिक वेब साईट के माध्यम से किया जा सकेगा |
- पंजीयन हेतु आधार नंबर आवश्यक होगा | आधार नम्बर न होने पर आधार अधिस्वीकृति का नम्बर तथा पावती (Aadhaar Acknowledgement Receipt) की स्कैन्ड कॉपी वेबसाइट में नियत स्थान पर अपलोड करनी होगी |
- अभ्यर्थी को पंजीयन की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित जानकारी अपने साथ रखना आवश्यक होगा: JEE Main की अंक सूची/मेरिट (अगर JEE Main की वरीयता के अनुसार पंजीयन किया जा रहा हो) , हाई स्कूल (10 वीं) परीक्षा की अंक सूची, आधार कार्ड तथा नंबर, उच्च माध्यमिक/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा (१२ वी) की अंक सूची, अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ व सिग्नेचर की स्कैन्ड प्रति (scanned copy), अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर तथा ईमेल आई. डी.|
- **अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के दौरान दी गई लोगिन आई. डी. (Login ID) (अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन शुल्क जमा करने के दौरान दिया गया चालान नंबर ही लोगिन आई. डी. होगा) तथा पासवर्ड संभाल कर अपने पास रख लेने चाहिए | अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के दौरान बनाए गई**

लोगिन आई. डी. (Login ID) तथा दिया गया पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्थान/एजेंसी के साथ साँझा नहीं करना चाहिए |

द्वितीय स्टेप

ऑनलाइन अग्रिम फीस (Advance Fee) के भुगतान पश्चात ऑनलाइन विकल्प चुनाव (Preference/Choice filling)

- पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से अग्रिम फीस (Advance Fee) रूपये 10,000/= मात्र का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा किया जा सकगा| अग्रिम फीस (Advance Fee) का समायोजन पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्ति पश्चात नियमानुसार किया जावेगा| **रीप-2017 द्वारा लौटाने योग्य राशि (अगर कोई है तो) नियमानुसार निर्धारित कर उसी माध्यम/स्त्रोत को लौटाई जाएगी जहाँ से वह पूर्व में प्राप्त हुई थी |**
- अग्रिम फीस (Advance Fee) पेमेंट उपरांत अभ्यर्थी पाठ्यक्रमवार, संस्थाओं/ब्रांच का प्राथमिकताक्रम से चयन कर सकेंगे |
- अभ्यर्थी द्वारा कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/ पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकेगा | अभ्यर्थी को अधिक से अधिक विकल्प (choice) चुनने/भरने की सलाह दी जाती है |
- अभ्यर्थी चयनित प्राथमिकता क्रम को कितनी भी बार बदल सकता है | परन्तु चयनित प्राथमिकता क्रम लॉक (lock) किये जाने पश्चात प्राथमिकता क्रम में कोई भी बदलाव/संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा | निर्धारित तिथि तक चयनित प्राथमिकता क्रम को लॉक (lock) नहीं किये जाने की स्थिति में चयनित प्राथमिकता क्रम स्वत: ही लॉक (lock) हो जाएगा |

तृतीय स्टेप

ऑनलाइन आवंटन (Online allotment) (प्रथम चरण की काउंसलिंग)

- वास्तविक आवंटन से पूर्व रीप-17 कार्यालय द्वारा सभी अभियार्थियों की मेरिट घोषित की जाएगी | अभ्यर्थी वेब पोर्टल पर लोगिन पश्चात अपनी मेरिट व केटेगरी देख पाएँगे |

<u>प्रथम चरण की काउन्सलिंग - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए</u>

- राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को उनके लिए आरक्षित स्थानों पर आवंटन प्रदान किया जावेगा |
- प्रथमत: राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को निर्धारित सम्मिलित मेरिट लिस्ट अनुसार आवंटन प्रदान किया जावेगा | **<u>B.Tech प्रथम वर्ष में</u>** प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट निर्धारण में **<u>JEE Mains-2017 (Paper-I) में प्राप्त अंकों/रैंक को अधिक वरीयता प्रदान की जावेगी</u>** तथा

तत्पश्चात ही कक्षा 12 के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश हेतु आवंटन किया जावेगा | **B.Arch प्रथम वर्ष में** प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट निर्धारण में **JEE Mains-2017 (Paper-II) में प्राप्त अंकों/रैंक को अधिक वरीयता प्रदान की जावेगी** तथा तत्पश्चात ही कक्षा 12 (50% weightage) + NATA score (50 % weightage) के आधार पर प्रवेश हेतु आवंटन किया जावेगा |आवंटन पत्र ऑनलाइन लोगिन पश्चात वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा |

- राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक आवंटित संस्थान में उपस्थिति दर्ज (Reporting) करनी होगी | अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति दर्ज करने (Reporting) हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
  - ➢ अभ्यर्थी को आवंटन पत्र की प्रति, निर्धारित फीस (अग्रिम जमा फीस (Advance Fee) के अलावा), सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक उपस्थिति देनी होगी| निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वत: ही निरस्त मान लिया जायेगा |
  - ➢ सभी मूल दस्तावेज की आवंटित संस्थान में सूक्ष्मता से जाँच की जाकर अभ्यर्थी को में प्रवेश योग्य घोषित कर प्रवेश दिया जा सकेगा | इस बाबत संस्थान को अभ्यर्थी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होगी |
  - ➢ राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त करते समय समस्त मूल दस्तावेज आवंटित संस्थान में जमा करवाने होंगे | अभ्यर्थी इस बाबत संस्थान से पावती प्राप्त करने के अधिकारी होंगे |
  - ➢ आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अति-आवश्यक होगा |
  - ➢ प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात अभ्यर्थी वेब पोर्टल पर अपना स्टेटस (Check candidate status) रिपोर्टेड चेक कर लें |

- **राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कोई उन्नयन (Upgradation/Upward movement) की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी |**
- राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में वह सीटें नियमानुसार राजस्थान कोटा की सीटों में परिवर्तित कर दी जाएंगी |

द्वितीय चरण की काउन्सलिंग - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए

- राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों की सीटों का निर्धारण राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आवंटन पश्चात शेष रही सीटों को सम्मिलित कर किया जावेगा |
- उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम JEE Main के आधार पर तथा तत्पश्चात उच्च माध्यमिक/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा (12 वी) के आधार पर आवंटन किया जावेगा|

- अभ्यर्थी अपना आवंटन लोगिन पश्चात वेब पोर्टल पर देख सकते है | आवंटन पत्र वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किये जा सकते है |

चतुर्थ स्टेप

आवंटित संस्थान में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन तथा प्रवेश

(राजस्थान राज्य के अभियर्थियों के लिए)

- राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक आवंटित संस्थान में उपस्थिति दर्ज (Reporting) करनी होगी | अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति दर्ज करने (Reporting) हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
  - अभ्यर्थी को आवंटन पत्र की प्रति, निर्धारित फीस (अग्रिम जमा फीस (Advance Fee) के अलावा), सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक उपस्थिति देनी होगी| **निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वत: ही निरस्त मान लिया जायेगा तथा वह उन्नयन (Upgradation/ Upward movement) हेतु अपात्र घोषित कर दिए जाएँगे |**
  - सभी मूल दस्तावेजों की आवंटित संस्थान में सूक्ष्मता से जाँच की जाकर अभ्यर्थी को प्रवेश योग्य घोषित कर प्रवेश दिया जा सकेगा | इस बाबत संस्थान को अभ्यर्थी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होगी |
  - **राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त करते समय समस्त मूल दस्तावेज सत्यापन पश्चात संस्थान में जमा नहीं करवाने होंगे** | अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में अपने दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (self-attested) प्रतिलिपि ही जमा करवानी होगी | उन्नयन (Upgradation/Upward movement) की काउंसलिंग उपरान्त अंतिम आवंटित संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निश्चित समय में (30/07/2017 तक) सभी मूल दस्तावेज जमा करवाने होगे |
  - आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अति-आवश्यक होगा |
  - समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को अंतिम तिथि से पूर्व आवंटित संस्थान में मूल दस्तावेज लाकर सत्यापन कराना होगा | सत्यापन कराने में विफल रहने पर आवंटन स्वत: ही निरस्त मान लिया जाएगा |
  - प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात अभ्यर्थी वेब पोर्टल पर लोगिन पश्चात अपना स्टेटस (Check Candidate Status) के माध्यम से रिपोर्टेड चेक कर लें |

- राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए उन्नयन (Upgradation/Upward Movement) की सुविधा उपलब्ध होगी तथा उन्हें वेब पोर्टल पर लोगिन पश्चात उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement) का विकल्प प्राप्त होगा | उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement)

के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक वेब पोर्टल के माध्यम से उन्नयन के विकल्प को चुनना होगा | उन्नयन (Upgradation/Upward Movement) हेतु अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में उपस्थिति देना (Reporting) आवश्यक होगा | अभ्यर्थी उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement) के लिए सहमति देने से पूर्व यह बात आवश्यक रूप से समझ लेनी चाहिए कि उन्नयन (Upgradation/Upward Movement) के उपरान्त उसकी वर्तमान में आवंटित सीट स्वत: निरस्त मानी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा |

तृतीय चरण की काउंसलिंग (Upward Movement)

(Third Phase Counseling)

- राजस्थान राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में विकल्प समाप्त होने से प्रवेश नहीं पा सके (Choice Exhausted) या आवंटित संस्थान में प्रवेश (reporting) पश्चात निर्धारित तिथि तक वेब पोर्टल के माध्यम से उन्नयन (Upgradation Upward Movement) हेतु विकल्प प्रस्तुत कर देते है, वह सभी अभ्यर्थी तृतीय चरण की काउंसलिंग हेतु पात्र होंगे |
- तृतीय चरण में द्वितीय चरण के आवंटन (राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों हेतु प्रथम आवंटन) उपरांत शेष रही सीटों पर केवल राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों जो उन्नयन (Upgradation/ Upward Movement) हेतु पात्र है व विकल्प प्रस्तुत करतें है को सीट आवंटन किया जाएगा |
- अभ्यर्थियों द्वारा तृतीय चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया में बताए सभी स्टेप्स का पालन करना होगा|
- सभी अभ्यर्थियों को तृतीय चरण की काउंसलिंग उपरान्त अंतिम आवंटित संस्थान में निश्चित समय में सभी मूल दस्तावेज जमा करवाने होगे | निर्धारित तिथि तक मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा |

आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन

(Internal Branch Change)

- **<u>केवल राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी</u>** केंद्रीकृत काउंसलिंग के तीन चरण की समाप्ति के पश्चात् (विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग से पूर्व) यदि अपनी प्रवेशित संस्था में ब्रांच परिवर्तन चाहते है तो उन्हें निर्धारित समय सारिणी अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर ब्रांच के लिए विकल्प प्रस्तुत करने होंगे | ब्रांच परिवर्तन होने की दिशा में उनकी पूर्व आवंटित प्रवेश स्वत: ही निरस्त हो जावेगा तथा नई आवंटित ब्रांच में ही उसका प्रवेश मान्य होगा | आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन की प्रक्रिया संस्थान जहाँ पर अभ्यर्थी ने प्रवेश लिया है के द्वारा सम्पादित की जाएगी |

- राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी |

विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग

(Special Last round Counseling)

केंद्रीकृत काउन्सलिंग के विभिन्न चरणों के उपरान्त रिक्त सीटों पर विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग का निर्णय लिया जा सकता है |

- विशेष अंतिम चरण में अभ्यर्थियों का प्रवेश ऑनलाइन केन्द्रीयकृत माध्यम द्वारा किया जावेगा|
- काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को पंजीयन करवाना आवश्यक है | पूर्ववर्ती चरणों में यदि अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तो ऐसे अभ्यर्थियों को पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है | जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है, उन्हें विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना आवश्यक होगा जिसका शुल्क रूपये 700/= (वापसी योग्य नहीं) (non-refundable) निर्धारित किया गया है | पंजीयन हेतु आधार नंबर आवश्यक होगा | पंजीयन शुल्क रूपये 700/-(non-refundable) का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा रीप-२०१७ वेबसाइट पर किया जा सकेगा |
- जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के पूर्ववर्ती चरणों हेतु अग्रिम फीस (Advance Fee) रूपये 10000/= मात्र का भुगतान नहीं किया था, वह वेब पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम द्वारा अग्रिम फीस का भुगतान कर विकल्प पत्र भर सकेंगे | अग्रिम फीस (Advance Fee) का समायोजन पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्ति पश्चात नियमानुसार किया जावेगा |
- ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरान्त संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर ली है, वह सम्बंधित अंतिम रिपोर्टेड संस्थान के माध्यम से अपना प्रवेश निरस्त करवाकर विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते है| अगर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही 31 जुलाई 2017 तक की गई तो अभ्यर्थी रूपये एक हजार मात्र (रु. 1000/=) अदा कर विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकता है | अगर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही 31 जुलाई 2017 के पश्चात् की गई तो अभ्यर्थी रूपये दस हजार मात्र (रु. 10000/=) अदा कर विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकता है | ऐसे सभी अभ्यर्थी विकल्प पत्र को संशोधित कर सकेंगे |
- ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरान्त संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की थी, वह रूपये दस हजार (रु. 10000/=) की अग्रिम फीस

राशि का पुन: भुगतान कर है, विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते है| ऐसे सभी अभ्यर्थी विकल्प पत्र को संशोधित कर सकेंगे |

- ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो विकल्प सीमित होने के कारण पूर्व की काउन्सलिंग में प्रवेश नहीं पा सके, वह बिना किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करे विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते है | ऐसे सभी अभ्यर्थियों को विशेष अंतिम चरण की काउन्सलिंग में सम्मिलित होने हेतु रीप-२०१७ की वेब साईट के माध्यम से सहमति प्रदान करनी होगी | ऐसे सभी अभ्यर्थी विकल्प पत्र को संशोधित कर सकेंगे |
- अभ्यर्थी द्वारा कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/ पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकेगा | अभ्यर्थी को अधिक से अधिक विकल्प (Choice) चुनने/भरने की सलाह दी जाती है |
- विशेष अंतिम चरण में आवंटन हेतु मेरिट सूची निम्न वरीयता क्रमानुसार बनाए जाएगी :

<u>B.Tech प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:</u>

(1) प्रथम वरीयता - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी जिन्होंने JEE Main-2017 की मेरिट के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है |

(2) द्वितीय वरीयता - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा-12 के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है |

(3) तृतीय वरीयता - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिन्होंने JEE Main-2017 की मेरिट के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है |

(4) चतुर्थ वरीयता - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा-12 के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है |

<u>B.Arch प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:</u>

(1) प्रथम वरीयता - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी जिन्होंने JEE Main-2017 (Paper-II) की मेरिट के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है |

(2) द्वितीय वरीयता - राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा-12 के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है | ऐसे सभी अभ्यर्थियों की मेरिट निर्धारण हेतु कक्षा-१२ में प्राप्तांकों का 50% weightage होगा तथा शेष 50% weightage NATA परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों का होगा |

(3) तृतीय वरीयता - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिन्होंने JEE Main (Paper-II)की मेरिट के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है |

(4) चतुर्थ वरीयता - राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा-12 के आधार पर रीप-२०१७ में पंजीकरण करवाया है | ऐसे सभी अभ्यर्थियों की मेरिट निर्धारण हेतु कक्षा-१२ में प्राप्तांकों का 50% weightage होगा तथा शेष 50% weightage NATA में प्राप्त प्राप्तांकों का होगा |

- अभ्यर्थी चयनित प्राथमिकता क्रम को कितनी भी बार बदल सकता है | परन्तु चयनित प्राथमिकताक्रम लॉक (lock) किये जाने पश्चात प्राथमिकता क्रम में कोई भी बदलाव/संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा | निर्धारित तिथि तक चयनित प्राथमिकता क्रम को लॉक (lock) नहीं किये जाने की स्थिति में चयनित प्राथमिकता क्रम स्वत: ही लॉक (lock) हो जाएगा |
- अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया हो जाने के पश्चात् अपना आवंटन लोगिन पश्चात वेब पोर्टल पर देख सकते है | आवंटन पत्र वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किये जा सकते है |
- अभ्यर्थी को आवंटन पत्र की प्रति, निर्धारित फीस, सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक उपस्थिति देनी होगी|
- सभी मूल दस्तावेजों की आवंटित संस्थान में सूक्ष्मता से जाँच की जाकर अभ्यर्थी को प्रवेश योग्य घोषित कर प्रवेश दिया जा सकेगा | इस बाबत संस्थान को अभ्यर्थी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी होगी |
- सभी अभ्यर्थियों को विशेष अंतिम चरण की काउंसलिंग उपरान्त अंतिम आवंटित संस्थान में निश्चित समय में सभी मूल दस्तावेज जमा करवाने होगे | निर्धारित तिथि तक मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा |

प्रवेश निरस्तीकरण

(Admission Cancellation)

- किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते है तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही अपनी प्रवेशित संस्था के माध्यम से ऑनलाइन करवाना होगा | अभ्यर्थी द्वारा जो फीस संस्था में जमा कराई गयी है उसका भुगतान सम्बंधित संस्था द्वारा नियमानुसार किया जावेगा | ऑनलाइन रीप-2017 को अदा की गई अग्रिम फीस (रूपये दस हजार मात्र) प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात रीप-2017 द्वारा नियमानुसार अदा कर दी जावेगी |
- **रीप-2017 द्वारा लौटाने योग्य राशि नियमानुसार निर्धारित कर उसी माध्यम/स्त्रोत को लौटाई जाएगी जहाँ से वह पूर्व में प्राप्त हुई थी |**
- माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है | अत: यदि अभ्यर्थी 31 जुलाई 2017 तक अपना प्रवेश ऑनलाइन अपने प्रवेशित संस्थान के माध्यम से निरस्त करवाता है तो प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गईं शैक्षणिक शुल्क की राशि में से नियमानुसार कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी | यदि अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई 2017 के पश्चात अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं होगी |

विशेष स्कीम - शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना (TFWS) के अंतर्गत प्रवेश

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्ध है/ अनुमति प्राप्त की है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें उपलब्ध रहेंगी |
- एक बार प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा |
- शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना (TFWS) के अंतर्गत सीटों के आवंटन हेतु शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना (TFWS) की सीटों को अन्य सीटों में सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों के विकल्पानुसार आवंटन किया जावेगा | तत्पश्चात मेरिट के अनुसार संस्थान में प्रवेशित किसी ब्रांच के प्रथम 5% अभ्यर्थियों को जो शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना (TFWS) में पात्र है तथा जिन्होंने शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना (TFWS) के अंतर्गत प्रवेश पाने हेतु विकल्प प्रस्तुत किया है, को कर दिया जावेगा |
- उन्नयन (Upward Movement) के लिए विकल्प प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी ध्यान दे कि उन्नयन (Upward Movement) के पश्चात TWFS केटेगरी में आवंटित सीट उन्नयन (Upward Movement) के पश्चात non-TFWS केटेगरी की सीट में बदल सकती है | अत: अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक विवेचना करने के पश्चात ही उन्नयन (Upward Movement) के लिए विकल्प प्रस्तुत करें |
- शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना (TFWS) में प्रवेश पाने हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र संस्थान में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें इस योजना से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा |
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/ शासन द्वारा सम्बंधित संस्थानों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क की सम्पूर्ण छूट दी जावेगी | शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जावेगा |
- **<u>यह योजना राजस्थान राज्य के ऐसे मूल निवासियों अभ्यर्थियों के लिए है</u>** जिनके अभिभावकों/ परिवार की वार्षिक आय 6.0 लाख रूपये से कम है |
- विशेष अंतिम चरण (Spot round) में प्रवेशित अभ्यर्थी शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना (TFWS) के लिए पात्र नहीं होंगे |

यह संक्षिप्त विवरणिका अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु प्रस्तुत है | किसी भी विरोधाभास/संदेह/अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध "General Instructions REAP-2017" मान्य होगी |

संयोजक, रीप-2017

अधिक तथा विस्तृत जानकारी के लिए रीप-२०१७ की वेबसाइट पर उपलब्ध **General Instructions REAP-2017 देखें |**